57

संयुक्त जाँच रिपोर्ट

प्रभागीय वनाधिकारी अवध वन प्रभाग लखनऊ के पत्रांक सं.- 4687/14-10-4 लखनऊ दि.- 26.11.2019 व उपरोक्त पत्र पर क्षेत्रीयवनाधिकारी सरोजनीनगर द्वारा दिनांक 13.1.2020 को दिये निर्देश के क्रम में आज दिनांक 14.1.2020 को भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लि. द्वारा बनी - मोहन-लालगंज मार्ग की पटरी, जो कि शासनादेश सं. 1115/14 दि.- 10.2.1960 द्वारा संरक्षित वन घोषित है (एम. डी. आर.- 89 सी.) के किमी. स्टोन संख्या 4 के मध्य बाँयी पटरी खसरा नं 268 ग्रा. धावापुर, परगना - बिजनौर तहसील सरोजनीनगर, जि. लखनऊ में प्रस्तावित पेट्रोल पम्प स्थल से मुख्य मार्ग तक आवागमन से प्रभावित संरक्षित वन भूमि पर गैर वानिकी कार्य की अनुमति के लिए संयुक्त निरीक्षण भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लि. के प्रतिनिधि, श्री अभिषेक सिंह सेक्शन प्रभारी बंथरा व श्री विनोद कुमार व.र. बीट इंचार्ज कुरौनी की उपस्थिति में की गई। भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड के प्रतिनिधि के द्वारा उपलब्ध कराये गये मानचित्रानुसार जाँच कर नजरी नक्शा तैयार किया गया। प्रस्तावित आउटलेट के प्रवेश व निकास स्थल में संरक्षित वन भूमि प्रभावित हो रही है जिसका भारत पेट्रो. कार्पो. लि. द्वारा Area Calculation Sheet प्रस्तुत किया गया है जो कि संलग्न है जिसके अनुसार ही संरक्षित वन भूमि की डिमांड भारत पेट्रोलियम के प्रतिनिधि द्वारा भी की गई है। आउटलेट के प्रस्तावित प्रवेश व निकास स्थल जो संरक्षित वन भूमि है पर विभिन्न प्रजाति के 05 वृक्ष गोलाई क्रमशः (1) कंजी - 82cm (हरा खड़ा) (2) चिलबल - 1.43cm (हरा खड़ा) (3) पीपल - .40cm (हरा खड़ा) (4) अर्जुन - 1.62cm (हरा खड़ा), (5) गोल्ड मोहर - .72 (हरा खड़ा) स्थित है जो कि आवागमन में बाधित होंगे। वृक्षों पर स्वामित्व वन विभाग का है। वन भूमि के अतिरिक्त कोई वैकल्पिक भूमि नहीं है वन भूमि की माँग प्रस्तावित। संयुक्त जाँच आख्या श्रीमान जी की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(रेखा कुमारी दांगाला)   (विनोद कुमार) व.र. 14.1.2020   (अभिषेक सिंह) व.द.   क्षेत्रीय वन अधिकारी सरोजनी नगर रेंज लखनऊ

उप प्रभागीय वनाधिकारी मोहनलालगंज

14/1/2020
प्रभागीय वनाधिकारी
अवध वन प्रभाग
21/473, इन्दिरानगर लखनऊ